म.प्र. जन अभियान परिषद्

प्रस्फुटन योजना

मार्गदर्शिका

वित्तीय वर्ष 2018–19

अनुक्रमणिका

क्रं.	विषय	पेज क्रं.
1	पृष्ठभूमि	1
2	चयन प्रक्रिया	1
3	प्रस्फुटन समिति की संरचना	4
4	ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समितियों के गठन हेतु प्रपत्र प्रारूप	4
5	प्रस्फुटन समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य	6
6	कार्ययोजना अनुसार गतिविधियों की समय–सारणी	7
7	प्रस्फुटन समितियों के स्वरूप में परिवर्तन	8
8	अनुदान राशि	8
9	उपयोगिता प्रमाण पत्र	9
10	प्रशिक्षण	11

प्रस्फुटन योजना

➢ पृष्ठभूमि :–

किसी भी गाँव/नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक विकास पुरुष स्थानीय न हो। प्रत्येक ग्राम/नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वावलंबन की दिशा में कार्य करते हैं। समाज की इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में 10 नये गाँवों/नगरीय क्षेत्रों का चयन किया जाता है। गाँव/नगर में चिन्हित व चयनित सक्रिय समूह को 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रुपये 10 हजार (एक मुश्त) दिए जाने का प्रावधान हैं। आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्रामों/नगरों में स्वैच्छिकता का भाव विकसित होकर सक्रिय समूह स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे।

परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक प्रदेश के 313 विकासखण्ड में गठित प्रस्फुटन समितियों में से लगभग 19532 ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समितियां वर्तमान में सक्रिय है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 10–10 प्रस्फुटन समितियों के गठन हेतु ग्राम/नगर का चयन दिनांक 30 जून 2018 तक किया जावे।

चयन प्रक्रियाः–

ग्राम/नगर का चयन :–

- जिन–जिन ग्राम पंचायतों में प्रस्फुटन समितियों का गठन नहीं किया गया है। सर्वप्रथम उन ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यालय ग्राम को प्रस्फुटन ग्राम के रूप में चयनित किया जावे।
- वित्तीय पोषण अवधि से अलग हो चुकी ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर में अपंजीकृत प्रस्फुटन समितियों के सशक्तिकरण की दृष्टि से सक्रिय समितियों का चिन्हांकन किया जावे।
- शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क स्थापित करने हेतु तहसील/जिला एवं संभागीय मुख्यालय वाले क्षेत्रों में भी प्रस्फुटन समितियों का चयन किया जावे। नगरीय क्षेत्रों में गठित समितियों का कार्य क्षेत्र संपूर्ण नगर होगा।
- प्रस्फुटन ग्रामों का चयन यथा संभव नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन योजना के अंतर्गत चिन्हांकित नदी के किनारें के ग्रामों में से किया जावे।

<u>प्रस्फुटन ग्रामों के गठन हेतु व्यक्तियों/सदस्यों का चयन</u> :–

<u>सामान्य निर्देश</u> –

प्रस्फुटन समितियों के गठन हेतु सदस्यों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक समिति में न्यूनतम सात सदस्य हों। समिति के सदस्यों में लगभग सभी जाति, वर्गो तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, वे एक ही परिवार के न हो तथा उनके द्वारा आपसी सहयोग से पूर्व में भी सामाजिक विकास के कार्य अथवा चयनित नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु कार्य किये गये हो या किये जा रहे हो तथा सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को भी जोडा जा सकता है।

<u>सदस्यों के चयन हेतु मापदण्ड</u> :–

- समिति के सदस्य स्थानीय अथवा ग्राम सभा के सदस्य होना चाहिए।
- समिति के सभी सदस्य वयस्क अर्थात आयु 18 वर्ष से अधिक की होना चाहिए।
- समिति के सदस्य यथासंभव आत्मनिर्भर हों (पढना, लिखना आता हो)।
- समिति के सभी सदस्य यथासंभव आत्मनिर्भर हों (उनकी स्वतंत्र आय का स्त्रोत उपलब्ध हो)।
- समिति के सदस्य पूर्व में सामाजिक सेवा संबंधी कार्यो में सक्रिय रहे हो अथवा समाज सेवा की तीव्र इच्छा शक्ति हो।
- जिला/विकासखण्ड समन्वयक से चर्चा में स्वेच्छा से कार्य करने की उत्सुकता व जागरूकता हो।
- जिला/विकासखण्ड समन्वयक द्वारा नगर/ग्राम वासियों के साथ चर्चा में सदस्यों के प्रति अच्छी छवि एवं विश्वसनीयता परिलक्षित हुई हो।
- समिति के सदस्य किसी भी प्रकार का नशा न करता हो।
- समिति के सदस्य अनुकरणीय नैतिक चरित्र एवं आचरण वाला हो।
- समिति के सदस्य नैतिक पतन से संबंधित अपराध में लिप्त न हो।
- नगर/ग्राम के सामुदायिक नेतृत्व अथवा सामाजिक कार्य विषय में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त व्यक्ति को समिति में प्राथमिकता दी जावे।
- समिति में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जिसे कम्प्यूटर/लेखा प्रबंधन का ज्ञान हो।
- शासकीय विभाग अथवा किसी अशासकीय संस्था से पुरूस्कार/सम्मान प्राप्त व्यक्ति को समिति में प्राथमिकता दी जावे।

- नगर/ग्राम में सतत् विकास लक्ष्य के 17 विषयों एवं नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को समिति में प्राथमिकता दी जावे।

<u>प्रस्फुटन समिति की संरचना</u> :– प्रस्फुटन नगर/ग्राम मे कार्यों, समिति के प्रभावी वित्त प्रबंधन एवं समन्वयन की दृष्टि से प्रस्फुटन समिति की संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

क्रमांक	पद	संख्या
1	अध्यक्ष	1
2	उपाध्यक्ष	1
3	सचिव	1
4	कोषाध्यक्ष	1
5	सदस्य	न्यूनतम 3 अथवा अधिक

प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाना आवश्यक होगा।

➢ **<u>ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समितियों के गठन हेतु प्रपत्र प्रारूप</u> :–**

म.प्र. जन अभियान परिषद्
चयनित समिति हेतु जानकारी पत्रक
(प्रस्फुटन योजना)

1. ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समिति का नाम :–.....
2. गॉव/नगर का नाम :–.....
3. गॉव/नगर की जनसंख्या :–.....
4. विकासखण्ड से दूरी (ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हेतु) :–.....
5. पंचायत का नाम (यदि गॉव, पंचायत मुख्यालय न हो) :–.....
6. उपखण्ड का नाम (ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हेतु) :–.....
7. विकासखण्ड का नाम (ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हेतु) :–.....
8. तहसील :–.....
9. जिला :–.....
10. संभाग :–.....

11. पत्राचार का पता :– नाम (अध्यक्ष/सचिव).....

ग्राम :.....पोस्ट.....

तहसील .....जिला.....

मोबाईल नम्बर :.....

12. समिति के गठन का दिनांक (माह, वर्ष).....

13. समिति के सदस्यों की जानकारी :–.....

क्र	नाम	पद	आयु	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	विषयात्मक रूचि	आजीविका स्त्रोत	संपर्क

14. बैक खाते का विवरण (यदि हो तो):

बैंक का नाम	**शाखा**	**खाता सं.**	**प्रकार (बचत/चालू)**

15. बैंक खाता संचालन हेतु अधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम तथा पद :–.....

.....

16. समिति के सदस्यों द्वारा पूर्व में किए सार्वजनिक/नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के कार्यों का विवरण दें। प्रमाण स्वरूप पेपर कटिंग/फोटो/प्रशंसा/प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न करें। (यदि हो तो)
(जगह कम होने पर पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

अ : .....

ब : .....

स : .....

हस्ताक्षर :–
नाम :–
(सचिव, प्रस्फुटन समिति)
दिनांक :–

हस्ताक्षर :–
नाम :–
(अध्यक्ष, प्रस्फुटन समिति)
दिनांक :–

संभाग स्तर पर निर्धारित कमेटी द्वारा अनुशंसा

हस्ताक्षरः–	हस्ताक्षरः–
नामः–	नामः–
विकासखण्ड समन्वयक,विकासखण्ड–	जिला समन्वयक, जिला–
दिनांकः–	दिनांकः–
हस्ताक्षरः–	हस्ताक्षरः–
नामः–	नामः–
संभाग समन्वयक,संभाग–	निदेशक/टी.एम.राज्य कार्यालय
दिनांकः–	दिनांकः–

➢ प्रस्फुटन समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य –

प्रस्फुटन समिति द्वारा समग्र ग्राम/नगर विकास हेतु निम्न कार्य किये जावेगें–

- ग्राम/नगर में स्वैच्छिकता का भाव जागृत करना।
- ग्राम/नगर में सतत् विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत चिन्हांकित 17 विषयों में से स्थानीय विकास हेतु आवश्यक प्रमुख विषयों पर कार्य हेतु बेसलाईन सर्वे करना।
- बेसलाईन सर्वे से प्राप्त जानकारी को रजिस्टर में संधारित करना तथा सर्वे से विकास कार्य हेतु प्राप्त समस्याओं/आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करना।
- प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित आवश्यकताओं पर विकास कार्य हेतु योजना बनाना तथा उसका संचालन करना एवं नियमित रूप से उसका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- प्रस्फुटन समिति द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष एंडलाइन सर्वे किया जायेगा। जिसका संधारण बेसलाइन सर्वे हेतु संधारित रजिस्टर में किया जायेगा। जिससे समिति द्वारा ग्राम में किये गये विकास कार्यों का आंकलन किया जा सके।
- नवीन विचारों एवं तकनीकों के संबंध में निरंतर जानकारियॉ प्राप्त कर स्वयं को अद्यतन रखना।
- स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों एवं स्थानीय विकास हेतु जागरूक व प्रोत्साहित करना।
- ग्राम/नगर में माह मे एक बार चौपाल लगाना, जिसमें ग्राम/नगरवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय दिवस को पर्व के रूप मे मनाना, जिसमें ग्राम/नगर वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (सम्बल) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार समितियों के माध्यम से किया जाना तथा योजना का अनुश्रवण विकासखण्ड समन्वयक द्वारा किया जावे।
- सतत् विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत चिन्हांकित निम्नलिखित 17 विषयों में से स्थानीय विकास हेतु आवश्यक प्रमुख विषयों पर सामाजिक सहभागिता के आधार पर कार्य करना–

1 शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा) Education (Primary & Secondary Edu.)
2 स्वास्थ्य तथा स्वच्छता Health & Sanitation

3 नदी एवं जल (पेयजल, सिंचाई तथा अन्य) संरक्षण River & Water (drinking water) irrigation & others Conservation
4 पर्यावरण (वन, वनस्पति, जीव एवं जैव विविधता) संरक्षण Environment (Forest, Flora & Fauna, Biodiversity)
5 खाद्य एवं पोषण तथा टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन Food & Nutrition and Promotion of sustainable agriculture
6 आजीविका (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र) Livelihood (Primary, Secondary & Tertiary Sector)
7 ऊर्जा संरक्षण Power (Energy)
8 प्रणाली में विश्वास (सरकार) Faith in the System (Government)
9 आर्थिक तथा वित्तीय समावेशन Economic and Financial Incusion (Banks, Credits & Loans, Insurance)
10 कौशल विकास तथा क्षमता विकास Skill Development and Capacity Building
11 कल्याण, खेल, संस्कृति तथा मनोरंजन Welfare, Sports,Culture and Entertainment
12 सुरक्षा (ग्राम/वार्ड)/आपदा प्रबंधन, शांति तथा न्याय Security (Village/Ward)/Disaster Management/ Peace and Justice
13 आश्रय तथा आवास Shelter & Housing
14 ई–गर्वनेंस, संचार तथा साईबर सुरक्षा E- Governance, Communication & Cyber Security
15 समाज कल्याण (सामाजिक सुरक्षा–युवा, महिला, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) Social Welfare (Social Security)- Youth, Women, Children, Specially Abled People, SC, ST, OBC & Marginalized Classes
16 पुरातत्व, स्मारक तथा विरासत संरक्षण, स्वदेशी पर्यटन Archeology, Mounument and Heritage Protection, Indigenous tourism
17 सड़क (कनेक्टिविटी) Road (Connectivity)

➢ कार्ययोजना अनुसार गतिविधियों की समय–सारणी –

म.प्र. जन अभियान परिषद्

प्रस्फुटन कार्ययोजना अनुसार गतिविधियों की समय–सारणी

क्र.	गतिविधि	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर		जनवरी		फरवरी		मार्च	
1	राज्यकार्यालय से लक्ष्य/दिशा निर्देश जारी																								
2	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष वाली प्रस्फुटन समितियों को किश्त जारी करना																								
3	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्फुटन ग्राम का चयन एवं आवेदन आमंत्रण																								
4	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्फुटन समितियों का गठन																								
5	गठित समितियों का बैंक खाता खुलवाना एवं प्रथम किश्त का आवंटन																								
6	प्रस्फुटन समितियों का विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण																								
7	प्रस्फुटन समितियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना																								

- **प्रस्फुटन समितियों के स्वरूप में परिवर्तन :–** प्रस्फुटन समितियों के स्वरूप या किसी भी प्रकरण में परिवर्तन राज्य कार्यालय को पर्याप्त कारण दर्शाते हुये अनुमोदन हेतु भेजा जावे एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जावे ।

- **अनुदान राशि :–**

प्रस्फुटन समितियों को तीन वर्ष के लिये प्रति वर्ष एक मुश्त अनुदान राशि रूपयें 10000/– दिये जाने का प्रावधान है।

- **ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समितियों को दी जाने वाली राशि का मद्वार व्यय विवरण–**

1. प्रथम वर्ष (प्रथम किश्त) हेतु

क्र.	गतिविधि	प्रावधान
1	कार्यालय के बाहर समिति का बोर्ड	500
2	स्टेशनरी (न्यूज पेपर/पत्रिकाएं/पुस्तकें सहित)	500
3	दरी, डेस्क, ब्लैक बोर्ड एवं अलमारी आदि आवश्यक सामग्री	3500
4	स्थानीय बेसलाइन सर्वे के आधार पर चिन्हित समस्याओं/आवश्यकताओं पर कार्ययोजना निर्माण हेतु गोष्ठी, बैठक आदि का आयोजन	2500
5	अन्य आकस्मिक व्यय	3000
योग		**10000**

नोट :– अन्य आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त शेष घटकों में कुल राशि की सीमा में अंतर घटकीय समायोजन किया जा सकेगा।

ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समिति के कार्यालय का बोर्ड का प्रारूप –

कार्यालय ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समिति ...
जिला/विकासखण्ड– .....

अध्यक्ष/सचिव
प्रस्फुटन समिति का नाम

म.प्र.जन अभियान परिषद्,
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)

कार्यालय हेतु स्थान– स्वैच्छिकता के भाव से प्राप्त शासकीय/निजी भवन आदि पर व्यवस्था की जाये।

2. द्वितीय वर्ष (द्वितीय किश्त) हेतु

क्र.	गतिविधि	प्रावधान
1	ग्राम/वार्ड के बाहर/सीमा पर समिति का बोर्ड	1500
2	स्टेशनरी (न्यूज पेपर/पत्रिकाएं/पुस्तकें सहित)	500
3	स्थानीय विकास के विषयों पर आधारित गोष्ठी, बैठक आदि का आयोजन	2500
4	समिति का पास के जिला/विकासखंड/ग्राम में किये गये अच्छे कार्य के अवलोकन हेतु एक्सपोजर	4500
5	अन्य आकस्मिक व्यय	1000
	योग	**10000**

नोट :– अन्य आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त शेष घटकों में कुल राशि की सीमा में अंतर घटकीय समायोजन किया जा सकेगा।

ग्राम के बाहर/सीमा पर लगाए जाने वाले बोर्ड का प्रारूप –

प्रस्फुटन ग्राम/वार्ड (नगर) .....
जिला/विकासखण्ड– .....

अध्यक्ष/सचिव
प्रस्फुटन समिति का नाम

म.प्र.जन अभियान परिषद्, जिला.....
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)

3. तृतीय वर्ष (तृतीय किश्त) हेतु

क्र.	गतिविधि	प्रावधान
1	समिति के ज्ञापन नियमावली निर्धारण एवं पंजीयन हेतु	3000
2	स्टेशनरी (न्यूज पेपर/पत्रिकाएं/पुस्तकें सहित)	500
3	स्थानीय विकास के विषयों पर आधारित गोष्ठी, बैठक आदि का आयोजन	2500
4	पास के ग्राम में गतिविधियों के विस्तार हेतु	2500
6	अन्य आकस्मिक व्यय	1500
	योग	**10000**

नोट :– अन्य आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त शेष घटकों में कुल राशि की सीमा में अंतर घटकीय समायोजन किया जा सकेगा।

- **उपयोगिता प्रमाण पत्रः–**

प्रस्फुटन समितियों को जारी की गई किश्त के व्यय के उपरांत समितियों द्वारा निम्न प्रारूपानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अगली किश्त जारी की जायें। प्रस्फुटन समितियों के खाते, जिले की राष्ट्रीयकृत अग्रणी बैंक (Nationalized leading bank) की

स्थानीय शाखा में खुलवायें, यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत अग्रणी बैंक (Nationalized leading bank) की शाखा में उपलब्ध नहीं हो तो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थानीय शाखा अथवा सहकारी बैंकों में खोले जा सकते है।

प्रारूपः–

म.प्र.जन अभियान परिषद्

उपयोगिता प्रमाण पत्र

वर्ष.....,की प्रस्फुटन समिति को आवंटित किश्त.....(प्रथम/द्वितीय/तृतीय), अनुदान राशि .....

सरल क्र.	चेक क्रमांक	राशि रूपये
01.		

1. प्रमाणित किया जाता है कि राशि रूपये 10000/– ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समिति (समिति का नाम) ..... को म.प्र. जन अभियान परिषद्, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आवंटित की गई थी, उसका उपयोग किया जा चुका है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि जो अनुदान समिति को प्रदान किया गया था उसका उपयोग दी गई शर्तों के आधार पर किया गया है। परीक्षण करने पर पाया गया कि अनुदान का वास्तविक उपयोग जिन प्रस्तावित कार्यों के लिये था, उन्हीं कार्यों में व्यय किया गया है।

3. दिये गये अनुदान का निम्नानुसार परीक्षण किया गया –

1. म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा स्वीकृत राशि
2. रोकड़ बही में इन्द्राज
3. बैंक पास बुक

हस्ताक्षर
विकासखण्ड समन्वयक
विकाखण्ड–
जिला–

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
अध्यक्ष
ग्राम/नगर विकास प्रस्फुटन समिति
ग्राम/नगर –

➢ **प्रशिक्षण :–**

1. प्रस्फुटन समितियों की विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण

समृद्धि योजनांतर्गत प्रस्फुटन समितियों की विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रति माह किया जाना है। प्रत्येक प्रशिक्षण में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की प्रस्फुटन समितियों से एक–एक सदस्य द्वारा भाग लिया जायेगा। इस प्रकार एक प्रशिक्षण में अधिकतम 30 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड में प्रति मासिक प्रशिक्षण अधिकतम राशि रू. 4500/– का प्रावधान किया गया है। जिसका मद्वार व्यय विवरण व विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार है –

(i) प्रावधानित राशि का मद्वार व्यय विवरण :–

प्रस्फुटन समितियों की विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण		
प्रतिभागियों की संख्या :– **30** (प्रत्येक प्रस्फुटन समिति से 1 सदस्य)		
प्रशिक्षण दिवस :– **1**		
क्रं.	**विवरण**	**एक दिवस हेतु प्रावधानित राशि**
1	चाय, स्वल्पहार एवं भोजन 30×80	2400
2	स्टेशनरी (प्रशिक्षण विषय से संबंधित दस्तावेज की प्रति) 30×15	450
3	विषय विशेषज्ञ हेतु मानदेय राशि रू. 500×02	1000
4	अन्य व्यय	650
योग		**4500**

नोट–

- उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु अधिकतम प्रावधानित राशि रू. 4500/– कुल अधिकतम सीमा के अन्दर अन्तरघटकीय समायोजन मान्य होगा।
- उक्त व्यय विवरण एक प्रतिदर्श (Sample) मात्र है, वास्तविक व्यय एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का आंकलन प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाली प्रस्फुटन समितियों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जावे।

(ii) प्रस्फुटन समितियों की विकासखण्ड स्तर पर मासिक प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश :–

- प्रत्येक विकासखण्ड में प्रस्फुटन समितियों की मासिक प्रशिक्षण का आयोजन प्रतिमाह 01 से 10 तारीख के मध्य किया जाये। प्रशिक्षण में उपस्थित समिति सदस्यों की उपस्थिति प्रशिक्षण दिनांक के उपरान्त दो दिवस के भीतर एम.आई.एस. www.mpjapmis.org पर फीड किया जावें।

- प्रशिक्षण का आयोजन प्रस्फुटन समिति के सदस्यों की सुविधानुसार प्रतिमाह विकासखण्ड मुख्यालय अथवा विकासखण्ड के अलग–अलग प्रस्फुटन ग्रामों में चक्रिय क्रम में किया जावे। प्रशिक्षण की रूपरेखा निम्नानुसार है–

समय	विषय
प्रातः 11 से 11.45	पिछले माह की बैठक में दिये गये प्रशिक्षण आधारित कार्य की समीक्षा
प्रातः 11.45 से 12.30	सतत् विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत चिन्हांकित विषय पर सत्र
प्रातः 12.30 से 01.30	स्थानीय बेसलाइन सर्वे से चिन्हित आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित विषय तथा नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन आदि पर प्रस्फुटन प्रतिनिधियों को कार्य आबंटन
प्रातः 01.30 से 2.30	भोजन/अल्पाहार
प्रातः 02.30 से 3.30	शासकीय योजनाओं पर जानकारी
प्रातः 03.30 से 4.30	ग्राम विकास कार्य में प्रशिक्षणार्थियों को आ रही समस्याओं का समाधान एवं आगामी माह की बैठक हेतु स्थान आदि का निर्धारण

उपरोक्तानुसार स्थानीय आवश्यकताओं एवं लोगों की सुविधा के अनुसार रूपरेखा में स्थानीय स्तर पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

- प्रशिक्षण हेतु दो विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय का प्रवधान किया गया है। इनके अतिरिक्त हर जगह ऐसे योग्य शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी/रिटायर्ड अधिकारी अथवा कर्मचारी/समाजसेवी/स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि आदि उपलब्ध होते है जो बिना किसी लाभ के स्वैच्छिक रूप से अपनी विशेषज्ञता को समाज के कल्याण के लिए बांटने के लिए तत्पर होते है। उक्त प्रशिक्षण में स्त्रोत व्यक्ति के रूप सेवायें लेने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे ही योग्य एवं तत्पर विशेषज्ञों को सम्पर्क कर चिन्हांकित करें एवं उनका नाम विकासखंड स्तर पर संधारित रिसोर्स पूल में सम्मिलित करें।
- प्रशिक्षण में उपस्थित संभाग/जिला समन्वयक द्वारा अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर संबंधित विषय पर प्रशिक्षण सत्र लिया जावे।
- प्रशिक्षण में संबंधित नवांकुर संस्था के सदस्यों को स्त्रोत व्यक्ति के रूप उपयोग किया जावे।
- उक्त प्रशिक्षण संबंधी पंजी/नस्ती आवश्यक रूप से संधारित की जाये। उपस्थिति पंजी में उपस्थित सदस्यों एवं स्त्रोत व्यक्ति का विवरण अनिवार्यतः उल्लेखित किया जाये।

- प्रशिक्षण के आयोजन के उपरान्त विकासखण्ड समन्वयक बिल वाउचर जिला कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण उपरान्त संबंधित जानकारी (मंगल फौन्ट) निम्नलिखित प्रपत्र पर संभाग स्तर से संकलित कर हस्ताक्षर सहित प्रत्येक माह की 15 तारीख तक राज्य कार्यालय में समृद्धि एवं संवाद योजना प्रभारी अधिकारी श्री सैयद शाकिर अली जाफरी की ई–मेल आईडी tmsamjapbho@mp.gov.in पर प्रेषित करेगें–

वित्तीय वर्ष 2018–19 की प्रस्तावित कार्य योजनानुसार विकासखण्ड स्तरीय प्रस्फुटन समितियों के साथ प्रशिक्षण माह.....

क्र.	जिला	विकासखण्ड	वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की प्रस्फुटन समितियों की कुल संख्या,	प्रशिक्षण दिनांक	प्रशिक्षण केन्द्र / स्थान	तीनो वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की प्रस्फुटन समितियों की संख्या, जिनके प्रतिनिधि प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।	प्रशिक्षण में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों, मेन्टर्स, एवं जन अभियान परिषद् के अधिकारियों / समन्वयकों के नाम	आगामी प्रशिक्षण की प्रस्तावित दिनांक	रिमार्क

(iii) प्रस्फुटन समितियों को माहवार दिये गये कार्य का प्रतिवेदन –

- विकासखण्ड स्तर पर आयोजित मासिक प्रशिक्षण में विकासखण्ड समन्वयक द्वारा नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से प्रतिमाह प्रस्फुटन प्रतिनिधियों को स्थानीय बेसलाइन सर्वे में चिन्हित आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित विषय तथा नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन आदि पर कार्य आबंटित किया जावेगा।
- प्रस्फुटन समितियों द्वारा उक्त विषयों पर कार्य किया जाकर उपलब्धि का तैयार प्रतिवेदन आगामी माह में आयोजित प्रशिक्षण में विकासखण्ड समन्वयक को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुत किया जावेगा–

क्र.	प्रतिवेदन के बिन्दु	जानकारी शब्दों में (अधिकतम)
1.	समिति सदस्य का नाम	
2.	प्रस्फुटन समिति का नाम	
3.	ग्राम का नाम	
4.	ग्राम पंचायत का नाम	
5.	गतिविधि का नाम	–
6.	उद्देश्य	20
7.	पूर्व में की गई तैयारी	50
8.	गतिविधि के आयोजन का स्वरूप (कार्य क्या था एवं कैसे किया गया)	100

क्र.	प्रतिवेदन के बिन्दु	जानकारी शब्दों में (अधिकतम)
9.	प्रयोग की गई सामग्री / उपकरण	20
10.	सहभागियों की संख्या	
11.	गतिविधि का फोटोग्राफ (एक कार्य करने के पूर्व का, एक कार्य करते हुये एवं एक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त)	3 फोटो
12.	समाचार पत्रों की क्लिपिंग	
13.	अन्य उल्लेखनीय विवरण	20
14.	हमने क्या सीखा	20
	भावी योजना	20
	हस्ताक्षर प्रस्फुटन समिति सदस्य	

- विकासखण्ड समन्वयक, नवांकुर संस्थाओं के सहयोग से प्रतिमाह समितियों के कार्यों का परीक्षण किया जाकर विकासखण्ड स्तरीय प्रतिवेदन तैयार कर जिला कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। विकासखण्ड स्तरीय प्रतिवेदन में प्रशिक्षण दिवस का भी संक्षिप्त विवरण प्रथम दो पृष्ठों में दिया जावेगा। जिसमें प्रशिक्षण की न्यूनतम दो फोटो (जो उपस्थिति को प्रमाणित करें) अवश्य समाहित हों।
- इसी प्रकार जिला समन्वयक द्वारा प्रतिमाह प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समितियों के कार्यों का अवलोकन एवं परीक्षण कर प्रतिमाह जिला स्तरीय प्रतिवेदन तैयार कर संभाग कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। जिला स्तरीय प्रतिवेदन में बैठक दिवस का संक्षिप्त विवरण प्रथम दो पृष्ठों में दिया जावेगा। जिसमें बैठक की न्यूनतम एक फोटो (जो उपस्थिति को प्रमाणित करें) अवश्य समाहित हों।
- संभाग समन्वयक द्वारा उपरोक्तानुसार समितियों के कार्यों का परीक्षण कर प्रतिमाह समितियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का संभाग स्तरीय प्रतिवेदन तैयार कर राज्य कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा। संभाग स्तरीय प्रतिवेदन में बैठक दिवस का संक्षिप्त विवरण प्रथम दो पृष्ठों में दिया जावेगा। जिसमें बैठक की न्यूनतम एक फोटो (जो उपस्थिति को प्रमाणित करें) अवश्य समाहित हों।

- उक्त प्रतिवेदन के अतिरिक्त सतत् विकास लक्ष्य के अंतर्गत विषयों पर किये गये कार्यों की संख्यात्मक जानकारी संभाग स्तर पर संकलित कर प्रतिमाह की 15 तारीख तक निम्नलिखित प्रपत्र पर राज्य कार्यालय में प्रस्फुटन प्रभारी अधिकारी डॉ. प्रियंका दुबे की ई–मेल आईडी priyanka.dubey04@gmail.com पर प्रेषित करेंगें–

म.प्र. जन अभियान परिषद्										
संभाग–............										
प्रस्फुटन समितियों के द्वारा प्रस्फुटन ग्रामों में किये जा रहें कार्यों की जानकारी										
माह–										
क्र	**सतत् विकास लक्ष्य 2030**		**जिला का नाम**							**योग**
1	**शिक्षा**	बच्चों का शाला में प्रवेश / बच्चों को पुनः स्कूल जाने हेतु प्रेरित करना (ड्राप आउट) को रोकना।								
2	**स्वास्थ्य एवं स्वच्छता**	मातृ मृत्यु दर (MMR) के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार								
		शिशु मृत्यु दर (IMR) के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार								
		सकल प्रजनन दर (TFR) के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार								
		एचआईवी एड्स (HIV\ADIS) के प्रति जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार								
		स्वााईन फलू और डेंगू के प्रति जन जागरूकता								
		मच्छर दानी उपयोग हेतु जागरूकता।								
		शुद्ध पेयजल के महत्व एवं लाभ के प्रति जागरूकता								
		सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों नालियों एवं सड़कों की साफ–सफाई								
		सोख्ता/ गड्डों का निर्माण								
		शतप्रतिशत शौचालय युक्त ग्राम								
		पशु मुक्ति धाम निर्माण								
		गाजर घास सफाई अभियान एवं गाजर घास से जैविक खाद बनाने की तकनीक का प्रचार–प्रसार								
3	**नदी एवं जल संरक्षण**	कुओं /बावडी का गहरीकरण/साफ सफाई								
		तालाबों का गहरीकरण								
		बोरी बंधान								
		तालाबों का निर्माण								
		नवांकुर संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जन समुदाय हेतु प्याऊ की स्थापना								
		नवांकुर संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पशुओं व पक्षियों हेतु पेय जल की व्यवस्था								
		जिला/विकासखण्ड मुख्या लय पर उपलब्ध जल स्तोत्रों की साफ–सफाई एवं रखरखाव								
		नदी संरक्षण एवं पुर्नजीवन अभियान (नदी संरक्षण/पुर्नजीवन हेतु जन जागरण								

म.प्र. जन अभियान परिषद्											
संभाग–.....											
प्रस्फुटन समितियों के द्वारा प्रस्फुटन ग्रामों में किये जा रहें कार्यों की जानकारी											
माह–											
क	सतत् विकास लक्ष्य 2030		जिला का नाम								योग
		जल संरचनाओं का निर्माण जल शुद्धिकरण साफ– सफाई गहरीकरण पौधरोपण जैव–विविधता संरक्षण गंदगी के स्त्रो तों पर रोक आदि)									
4	पर्यावरण संरक्षण	पौधरोपण									
		रोपित पौधों का संरक्षण									
		पर्यावरण संरक्षण हेतु बैठकें/संगोष्ठी/सम्मेलन									
		ठोस अपशिष्ठ/प्लास्टिक/पौलीथिन तथा ई–वेस्ट आदि प्रबंधन यूनिट की स्थापपना									
5	खाद्य एवं पोषण तथा टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन	रसायन मुक्त/जैविक कृषि (Organic Farming) को प्रोत्साहन – पंजीकरण प्रमाणीकरण									
		मिश्रित एवं विविध खेती हेतु मॉडल फार्म									
		पशु आरोग्य शिविर आयोजन									
		पशु पालकों को प्रशिक्षण									
		गौवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु पूर्व से स्थापपित गौशाला का आधुनिकीकरण (गौशाला में गौमूत्र एवं गोबर से उर्जा उत्पाोदन तथा जैविक खाद कीटनाशक आदि का निर्माण करना तथा उन्नात देशी नस्ली का सांड के साथ)									
		पशुधन चारा विकास हेतु विकासखण्डम स्तार पर नर्सरी की स्थोपना									
		नर्सरी विकास हेतु प्रशिक्षण									
		गांव के कचरे से खाद बनाने की इकाई की स्थापना? कचरा प्रबंधन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर।									
		फसलों के अवशेष (नरवाई आदि) में आग लगाने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति स्वैपच्छिक संगठनों के माध्य्म से जनजागरूकता अभियान									
		नाड़ेप/भू नाड़ेप का निर्माण									
		बायो/गोबर गैस संयत्रों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण									
6	ऊर्जा संरक्षण	प्रस्फुटन समिति के सदस्यों को गैर पारम्परिक उर्जा से चलने वाले उपकरण जैसे सोलर कुकर सोलर लेंम्प वेजिटेबिल ड्रायर आदि बनाने का प्रशिक्षण तथा उपकरणों के उपयोग हेतु जन जागरूकता अभियान									
		बिजली चोरी एवं अपव्यय को रोकने हेतु प्रचार–प्रसार।									
		सौर ऊर्जा एवं वैकल्पिक उर्जा के प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता शिविर/ प्रशिक्षण									
7	प्रणाली में विश्वास (सरकार)	आधार कार्ड/वोटर आई डी बनवाने के प्रति जन जागरूकता									
		जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के प्रति जन जागरूकता									
		मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक शासकीय विभागों से विभिन्न दस्तावेज, अनुमति									

म.प्र. जन अभियान परिषद्											
संभाग–.....											
प्रस्फुटन समितियों के द्वारा प्रस्फुटन ग्रामों में किये जा रहें कार्यों की जानकारी											
माह–											
क	सतत् विकास लक्ष्य 2030		जिला का नाम							योग
		व प्रमाण पत्र आदि वनवाने व प्राप्त करने की प्रक्रिया के सबंध में प्रशिक्षण व ज्ञानवर्धन								
8	आर्थिक तथा वित्तीय समावेश	सामुदायिक बचत को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक सहकारी साख समिति का गठन								
9	नशामुक्ति	पूर्ण नशा मुक्त ग्राम (शराब तम्बाकू गांजा आदि समस्त प्रकार के व्यसनों से मुक्ति हेतु प्रचार–प्रसार)								
		शराब मुक्त ग्राम								
		नशामुक्ति शिविर								
		शराब तम्बाकू गांजा आदि समस्त प्रकार के व्यसनों से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में चौपाल लगाकर प्रचार–प्रसार								
10	कुपोषण एवं परिवार नियोजन	कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए जन–जागरूकता बैठकें एवं रैली								
		चिन्हित अति कम वजन के बच्चे को प्रतिदिन ऑगनवाड़ी पहुचाना तथा उनका नियमित रूप से वजन करवाना।								
		कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना								
		परिवार नियोजन हेतु लोगों को प्रोत्साहन								
11	महापुरूषों की जयंती एवं महत्वपूर्ण दिवस	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय महापुरूषों/स्वरतंत्रता संग्राम सेनानियों/परमवीर चक्र विजेता/राष्ट्रकवि/भारतीय दार्शनिकों आदि के जन्मदिवस पर उनके द्वारा किये गये कार्यों पर जन–जागरूकता बैठकें/चौपाल/गतिविधि								
12	अन्य कार्य	किये गये कार्य का विवरण देते हुये संख्यात्मक जानकारी दे								